

**राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान** वस्त्न मंत्रालय, भारत सरकार सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रंगरेट, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर-191132 **National Institute of Fashion Technology** Ministry of Textiles, Govt. of India SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar-191132 J&K

## 16311(1)/निफ़्ट/श्रीनगर/प्रशासन/स्टेशनरी एवं कॉफी शॉप/2018/689

दिनांक: 04-06-2021

# <u>ई-निविदा सूचना</u>

राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान(निफ्ट) श्रीनगर (इसमें इसके बाद "संस्थान" के रूप में संदर्भित, 1986 में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित, संसद के एक अधिनियम अर्थात निफ्ट अधिनियम, 2006 के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया), एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है । संस्थान फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उच्चतम मानकों के अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में प्रवृत्त है। संस्थान का परिसर वर्तमान में सिडको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स रंगरेट श्रीनगर में है। संस्थान एक इच्छुक पार्टी को, जिसके पास स्टेशनरी और रिप्रोग्राफिक दुकान चलाने का अनुभव हो, परिसर समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए 10 फीट x 8 फीट आयाम के पूर्वनिर्मित सामग्री के अस्थायी हल्के ढांचे के निर्माण के लिए जगह आवंटित करना चहता है। तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति की ओर से निदेशक, निफ्ट, श्रीनगर द्वारा "दो बोली प्रणाली" के अंतर्गत इच्छुक पार्टियों से एक अस्थायी हल्के ढांचे के निर्माण के लिए एक संविदा लेने और एक वर्ष की अवधि के लिए संस्थान के परिसर में एक स्टेशनरी-सह-रिप्रोग्राफिक दुकान चलाने के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। बोलीदाताओं को अपनी बोलियां जमा करने से पहले www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज में निहित विवरणों को देख लेना चाहिए।

## <u>निविदा प्रक्रिया के लिए समय-सारणी:</u>

ई-निविदा अधिसूचना  की तिथि	= 04-06-2021
ऑनलाइन बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि	= 24-06-2021 (सुबह 11 बजे तक)
तकनीकी बोली खुलने की तिथि	= 25-06-2021 (दोपहर 3 बजे तक)
वित्तीय/मूल्य बोली खुलने की तिथि	= योग्य बोलीदाताओं को अलग से सूचित किया जाएगा

निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बयाना राशि जमा (ईएमडी) करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, बोलीदाताओं को "बोली सुरक्षित घोषणा" पर हस्ताक्षर करना होगा और इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न करना होगा।

बोलीदाताओं को तकनीकी बोली में सभी सुसंगत दस्तावेज (स्व-सत्यापित) सॉफ्टप्रति और हार्डप्रति दोनों रूप में संलग्न करने होंगे। तकनीकी बोली और वित्तीय / मूल्य बोली की हार्ड प्रतियां बोलीदाताओं द्वारा निदेशक, निफ्ट सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रंगरेट श्रीनगर के कार्यालय में 24-06-2021 (सुबह 11 बजे तक) तक या उससे पहले जमा करनी होंगी। बोली उल्लिखित दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं पाए जाने पर सकती है। विस्तृत निविदा दस्तावेज संस्थान की वेबसाइट www.nift.ac.in/Srinagar पर भी उपलब्ध है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बोलीदाता <u>estates.srinagar@nift.ac.in</u> पर अपने प्रश्न ई-मेल कर सकते हैं या +91-7006149501 पर संपर्क कर सकते हैं।

> निदेशक निफ़्ट श्रीनगर

# <u>निविदा दस्तावेज़</u>

परिसर के भीतर संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले स्थान पर पूर्वनिर्मित सामग्री के 10 फीट X 8 फीट आयाम के एक अस्थायी हल्के ढांचे के निर्माण के लिए "दो बोली प्रणाली" के तहत निविदाओं के लिए और इसे निफ्ट रंगरेट श्रीनगर में समुदाय परिसर के लिए स्टेशनरी-सह रिप्रोग्राफिक दुकान के रूप में चलाने के लिए आमंत्रण।

## <u>निविदा का कार्य-क्षेत्र:</u>

परिसर के भीतर संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले स्थान पर पूर्वनिर्मित सामग्री के 10 फीट X 8 फीट आयाम के एक अस्थायी हल्के ढांचे का निर्माण और इसे निफ्ट रंगरेट श्रीनगर में परिसर समुदाय के लिए स्टेशनरी-सह-रिप्रोग्राफिक दुकान के रूप में चलाना।

<u>निविदा प्रक्रिया के लिए समय-सारणी</u> निविदा अधिसूचना की तिथि ऑनलाइन बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि तकनीकी बोली खुलने की तिथि वित्तीय/कीमत बोली खुलने की तिथि

= 04-06-2021 = 24-06-2021 (सुबह 11 बजेतक) = 25-06-2021(दोपहर 3 बजे तक) = योग्य बोलीदाताओं को अलग से सूचित किया जाएगा

बोलीदाताओं को तकनीकी बोली में सभी सुसंगत दस्तावेज (स्व-सत्यापित) सॉफ्टप्रति और हार्डप्रति दोनों रूप में संलग्न करने होंगे। तकनीकी बोली और वित्तीय / मूल्य बोली की हार्ड प्रतियां बोलीदाताओं द्वारा निदेशक, निफ्ट सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रंगरेट श्रीनगर के कार्यालय में 24-06-2021 (सुबह 11 बजे तक) तक या उससे पहले जमा करनी होंगी। बोली उल्लिखित दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं पाए जाने पर अस्वीकार की जा सकती है। विस्तृत निविदा दस्तावेज संस्थान की वेबसाइट <u>www.nift.ac.in/Srinagar</u> पर भी उपलब्ध है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बोलीदाता <u>estates.srinagar@nift.ac.in</u> पर अपने प्रश्न ई-मेल कर सकते हैं या +91-7006149501 पर संपर्क कर सकते हैं।

# <u>बोलीदाताओं को अनुदेश:</u>

- इच्छुक बोलीदाताओं को पूरे निविदा दस्तावेज के निबंधनों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यदि वे स्वयं को योग्य समझते हैं और आवश्यक सभी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर उनके पास हैं, तो ही उन्हें अपनी बोलियां जमा करनी चाहिए।
- बोली जमा करने की तारीख से पहले किसी भी समय संस्थान या तो अपनी पहल पर या संभावित बोलीदाता द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में एक शुद्धिपत्र जारी करके निविदा दस्तावेज में संशोधन कर सकता है। शुद्धिपत्र को प्रमुख रूप से संस्थान की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।
- बोली केवल आधिकारिक ई-निविदा फॉर्म में जमा की जाएगी। यदि किसी अन्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- इच्छुक बोलीदाताओं को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा तकनीकी और वित्तीय/मूल्य बोली के समर्थन में उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सभी सुसंगत प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों की स्कैन प्रतियों के साथ अपनी बोलियां https://eprocure.gov.in पर 04-06-2021 से 24-06-2021 तक, सु बह11:00 बजे तक जमा करनी होंगी।
- 5. बोली केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा की जाएगी और किसी अन्य माध्यम से जमा की गई बोलियां अमान्य होंगी।
- इच्छुक बोलीदाता के पास बोली को ऑनलाइन जमा करने के लिए वर्ग 3 का डिजिटल हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए।
- 7. बोलीदाता का नाम और पता प्रदान किए गए स्थान में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और निविदा के किसी भी हिस्से में जब तक कि बोलीदाता द्वारा उसकी मुहर और पूर्ण हस्ताक्षर के तहत विधिवत प्रमाणित न हो कोई सुधार, अधिलेखन, अंतर्वेशन, प्रक्षेप आदि की अनुमति नहीं है। निविदा पूरी तरह से दिए गए अनुदेशों के अनुसार भरकर जमा की जानी है। अन्यथा, एकतरफा रूप से बिना कोई कारण बताए या कोई स्पष्टीकरण दिए बिना बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
- यदि दस्तावेज पूरी तरह से नहीं भरे गए हैं या बोली में उल्लिखित कोई जानकारी और डेटा पूरी तरह से दर्ज नहीं किया गया है या अशुद्ध/गलत/झूठी/हेरफेर की गई जानकारी प्रस्तुत की गई है या बोली मूल्यांकन पर प्रभाव डालने

वाली कोई भौतिक जानकारी दबाई/छिपाई जाती है तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ तकनीकी बोली और वित्तीय / मूल्य बोली दोनों की हार्डप्रति मूल रूप से निदेशक, निफ्ट श्रीनगर के कार्यालय में 24-06-2021 को सुबह 11 बजे तक या उससे पहले जमा करनी होगी।
- 10. तकनीकी बोलियां 25-06-2021 (सुबह 11:00 बजे) को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उपस्थित होना चाहते हैं ।
- 11. कोई बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, बोलीदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बोली सुरक्षा घोषणा तकनीकी बोली (सॉफ्ट और हार्डप्रति) के साथ संलग्न की जानी है। बोली सुरक्षित घोषणा के बिना प्राप्त प्रस्तावों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 12. अंतिम तिथि और समय अर्थात 24-06-2021 (शाम 04:00 बजे) के बाद प्राप्त बोलियों पर किसी भी कारण से विचार नहीं किया जाएगा।
- 13. संस्थान के पास बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 14. यदि बोलीदाता अपनी बोली की वैधता अवधि के भीतर किसी भी तरह से बोली को वापस लेता है, संशोधित करता है, खराब करता है, या उसका अवमूल्यन करता है, तो बोली सुरक्षित घोषणा लागू की जाएगी।
- 15. यदि एच1 एक से अधिक है, तो सबसे अधिक बोली लगाने वाले के चयन के लिए संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम और सभी प्रभावित बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में संस्थान द्वारा न तो किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी और न ही आगे संचार पर विचार किया जाएगा।
- 16. स्टेशनरी की दुकान पर बेची जाने वाली आवश्यक वस्तुएं और आउटलेट पर रखी जाने वाली रिप्रोग्राफिक सुविधाएं निविदा दस्तावेज में ही निहित हैं और बोली का मूल्यांकन वित्तीय/मूल्य बोली में मासिक भूमि के किराए के उच्चतम बोली उद्धरण के आधार पर किया जाएगा। उद्धृत दर सभी करों और शुल्कों को छोड़कर होगी। प्रति माह आरक्षित भूमि का किराया ₹1000/- (जीएसटी को छोड़कर) है और बोलीदाताओं को इस राशि के ऊपर की दर उद्धृत करनी होगी।
- 17. स्टेशनरी की वस्तुओं को सफल बोलीदाता द्वारा परिसर क्षेत्र पर प्रस्तावित दुकान से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर बेचा जाना होगा, यानी सभी करों को शामिल करते हुए, जबकि रिप्रोग्राफिक सेवाओं को संस्थान द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान करना होगा। बोलीदाता अपने विकल्प पर स्टेशनरी की वस्तुओं को रियायती दरों पर भी बेच सकता है।
- 18. बोलीदाता स्टेशनरी शॉप पर ब्लैक एंड व्हाइट और कलर फोटोस्टेट और प्रिंटआउट दोनों के लिए गुणवत्ता वाले फोटोकॉपियर और लेजर प्रिंटर स्थापित करना सुनिश्चित करेगा और उसे ग्राहकों से निम्नलिखित दरें चार्ज करनी होंगी।

ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी (A4 आकार का कागज) = ₹ 1.00

ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी (A3 आकार का कागज) = ₹ 1.50

रंगीन फोटोकॉपी (ए4 आकार का कागज) = ₹10.00

रंगीन फोटोकॉपी (A3 आकार का कागज) = ₹15.00

ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग (ए4 आकार का कागज) = ₹ 5.00

ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग (A3 आकार का कागज) = ₹ 7.00

रंगीन छपाई (A4 आकार का कागज) = ₹15.00

रंगीन छपाई (A3 आकार का कागज) = ₹20.00

- 19. इस निविदा से संबंधित सभी मामलों को जिस समय तक यह लागू है मूल और प्रक्रियात्मक दोनों ही भारतीय कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, और ये श्रीनगर/बडगाम (जम्मू और कश्मीर) में कानून के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।
- 20. बोलीदाताओं को केवल वित्तीय/मूल्य बोली में ही अंकों और शब्दों दोनों में भूमि के किराए की दर उद्धृत करनी होगी। अधूरी बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। बोली पत्रों में सभी सुधारों और परिवर्तनों को बोलीदाता को अपनी मुहर और पूर्ण हस्ताक्षर से सत्यापित करना होगा। मिटाने और अधिलेखन की कोई अनुमति नहीं है, अन्यथा बोली अधूरी मानी जाएगी और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी। सफेद सुधार द्रव का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है।
- 21. यदि कोई बोलीदाता शून्य दर उद्धृत करता है, तो बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अनुत्तरदायी माना जाएगा।
- 22. नगरपालिका कर, जीएसटी सहित सभी सांविधिक करों और शुल्कों और किसी भी अन्य करों और शुल्कों को बोलीदाता को वहन करना होगा और इस संबंध में किसी भी समय संस्थान को कोई दायित्व नहीं दिया जाएगा। भूमि के किराए की उद्धृत दर दृढ़ होगी और प्रस्ताव की वैधता अवधि में दर या निबंधन और शर्तों से किसी भी विचलन से प्रदर्शन सुरक्षा जब्त होगी, बोली सुरक्षित करने की घोषणा लागू होगी और संस्थान को बोली लगाने वाले के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा।
- 23. निविदा खुलने की तिथि पर केवल तकनीकी बोली खोली जाएगी। जबकि वित्तीय/मूल्य बोलियां केवल उन्हीं बोलीदाताओं के लिए खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां सभी प्रकार से पूर्ण और स्वीकार्य पाई जाती हैं। वित्तीय/मूल्य बोलियों को खोलने की तारीख और समय तकनीकी बोलियों को खोलने के बाद अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
- 24. "एकल निविदा प्रणाली" माध्यम में प्राप्त प्रस्ताव, यानी तकनीकी बोली और वित्तीय / मूल्य बोली दोनों एक ही लिफ़ाफ़े में रखे जाने पर, अस्वीकार कर दिए जाएँगे।
- 25. बोलीदाता इस निविदा से संबंधित किसी भी प्रश्न, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र आदि के लिए संस्थान की वेबसाइट को लगातार देखते रहें।
- 26. निविदा दस्तावेज से संबंधित अभ्यावेदन, यदि कोई हो, तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय से पहले संस्थान को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 27. संस्थान की बोली खोलने वाली समिति द्वारा योग्य तकनीकी बोलियों की घोषणा के बाद, वित्तीय / मूल्य बोलियों में उद्धृत दरें चयन मानदंड यानी उच्चतम उद्धृत भूमि का किराया होगा। बोलीदाता को सभी लागू करों और शुल्कों को छोड़कर दरों को उद्धृत करना होगा।
- 28. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली, बोली खुलने की तारीख से 75 दिनों के लिए वैध रहेगी।
- 29. बोलीदाताओं को सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए सत्यनिष्ठा संहिता का पालन करना होगा। इस संहिता के किसी भी उल्लंघन के मामले में बोलीदाता दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि उसकी बोली/अनुबंध को रद्द करना, उसे प्रतिबंधित करना/कालीसूची में डालना या उसके खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कोई कार्रवाई करना आदि।
- 30. बोलीदाता का अन्य बोलीदाताओं के साथ हितों का टकराव न हो। हितों का टकराव संस्था के हितों की हानि के लिए प्रतिस्पर्धी विरोधी दरों को जन्म दे सकता है। जो बोलीदाता हितों का टकराव करता पाया गया उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- 31. निविदा दस्तावेज के निबंधनों और शर्तों की व्याख्या के संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होगा।
- 32. बोली प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं ने निविदा से जुड़ी सभी शर्तों को पढ़ और स्वीकार कर लिया है, ऐसा माना जाएगा। बोली (बोलियों) की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में किसी भी मौखिक या लिखित पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 33. टेलेक्स, केबल और फैक्स के माध्यम से प्राप्त बोलियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और खारिज कर दिया जाएगा।

- 34. अंत:निर्मित शर्तों वाली बोलियों को अनुत्तरदायी माना जाएगा।
- 35. निविदा दस्तावेज से कोई कागज/दस्तावेज अलग नहीं किया जाएगा।
- 36. बोलीदाता को अपनी बोली जमा करने के बाद, अपनी बोली को वापस लेने/बदलने/संशोधित करने की अनुमति तब तक है, जब तक कि ऐसी निकासी/परिवर्तन/संशोधन विधिवत मुहरबंद और मूल बोली की तरह चिन्हित हों और बोली प्राप्त होने की तारीख और समय तक संस्थान को प्राप्त हो जाए। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी भी वापसी/संशोधन/आशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 37. बोली जमा करने की समय सीमा और बोली वैधता की अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई बोली वापस नहीं ली जाएगी। इस अवधि में बोली वापस लेने के परिणामस्वरूप बोलीदाता की "बोली सुरक्षित घोषणा" लागू होगी और अन्य प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
- 38. सफल बोलीदाता को कुछ शर्तों, जो इसमें इसके बाद और संविदा के निबंधनों और शर्तों में निर्धारित हैं, के तहत पूर्वोक्त व्यवसाय चलाने के लिए संविदा दी जाएगी।
- 39. यदि बोलीदाता एक स्वामित्व वाली फर्म है तो बोलीदाता द्वारा स्वयं और साझेदारी फर्म के मामले में, एक साझेदार द्वारा बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। हालाँकि, एक साझेदारी फर्म के मामले में, यहाँ सभी साझेदारों से इस आशय का एक प्राधिकरण-पत्र होना चाहिए कि एक साझेदार के रूप में बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सभी साझेदारों की ओर से बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- 40. यदि बोलीदाता एक कंपनी है, तो सक्षम प्राधिकारी/बोर्ड के संकल्प से एक वैध प्राधिकरण होना चाहिए, जो व्यक्ति को कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने और बोली दाखिल करने के लिए प्राधिकृत करता है।
- 41. बिना प्राधिकरण के और प्रत्येक पृष्ठ पर बिना हस्ताक्षर के कोई भी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- 42. बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में परिवर्धन/परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। इस तरह के परिवर्धन और परिवर्तन बोलीदाताओं के अपने जोखिम पर होंगे और बोली को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 43. बिक्री केंद्र पर बेची/व्यापार किए जाने वाली सभी वस्तुओं की कीमत भारतीय रुपए में तथा जीएसटी और सभी अन्य करों सहित होगी।

# <u>योग्यता मानदंड:</u>

- बोलीदाता के पास सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकाय/किसी भी प्रतिष्ठित संगठन आदि में समान बिक्री केंद्र चलाने का तीन वर्षों से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए। इच्छुक बोलीदाता दूकान/बिक्री केंद्र को चलाने के अनुभव/योग्यता के पर्याप्त सबूत के साथ आवेदर कर सकता है। पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बोलीदाता का न्यूनतम वार्षिक आवर्त/टर्नओवर 5 लाख होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तुलन-पत्र की प्रतियां तकनीकी बोली के साथ संलग्न करनी होंगी।
- बोली लगाने वाले को पिछले दो वर्षों (2018-19 और 2019-20) के आयकर रिटर्न की चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत सत्यापित प्रतियां तकनीकी बोली के साथ लगानी होंगी।
- बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रारूप में इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के किसी विभागों/कार्यालयों/स्वायत्त निकायों या किसी गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कभी भी प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया है।
- 4. बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रारूप में "बोली सुरक्षित घोषणा" संलग्न करनी होगी।
- 5. बोलीदाता को जीएसटी व्यवस्था और आयकर विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और तकनीकी बोली में जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति और पैन कार्ड की एक प्रति संलग्न करनी होगी।
- स्टार्ट-अप के मामले में पूर्व आवर्त/टर्नओवर और अनुभव की शर्त में छूट दी गई है, जो संस्थान द्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन है।

# <u>बोली के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:</u>

बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। ऐसे बोली जो इनमें से किस भी दस्तावेज के बिना होगी, अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होगी।

- पैन/ आय कर पंजीकरण की प्रति
- पिछले एक वर्ष का बैंक विवरण
- फ़र्म/कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र
- जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र/संख्या
- अन्य सांविधिक पंजीकरण/लाइसेंस, यदि कोई हो
- दूकान/दूकानों की कुल संख्या और उनकी जानकारी
- यदि संविदा दी जाती है तो बोलीदाता के साथ काम करने वाले कर्मचारी का विवरण
- निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली फर्म की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्राधिकरण पत्र/संकल्प।
- निवास प्रमाण-पत्र
- अन्य दस्तावेज जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है और जैसा कि बोली दस्तावेज के किसी अन्य प्रावधान के तहत आवश्यक है और यहां ऊपर उल्लिखित नहीं है।

# <u>संविदा की सामान्य शर्तें:</u>

- 1. परिणामी संविदा की व्याख्या भारतीय कानूनों के तहत की जाएगी।
- 2. संविदा से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में, इसे संबंधित पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से हल किया जाएगा, जो विफल होने पर मध्यस्थता द्वारा एकमात्र मध्यस्थ जो निदेशक, निफ्ट श्रीनगर द्वारा श्रीनगर में भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए नियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जाएगा, के माध्यम से सुलझाया जाएगा । इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ को कोई अंतरिम निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थता का स्थान श्रीनगर/बडगाम (जम्मू-कश्मीर) में होगा।
- सफल बोली लगाने वाले को संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने के 60 दिन बाद डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट/बैंक गारंटी के रूप में निदेशक, निफ्ट, श्रीनगर के नाम पर संविदा मूल्य के 3% की प्रदर्शन सुरक्षा जमा करनी होगी।
- 4. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है, उसे दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संविदा तैयार करने के लिए अपनी लागत पर ₹100/- का गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर जमा करना होगा। इस निविदा सूचना/दस्तावेज के निबंधन और शर्तें संविदा का अभिन्न अंग होंगे और संविदा के संतोषजनक समापन तक बाध्यकारी रहेंगे। मूल समझौता संस्थान के पास रहेगा, जबकि दुकानदार यदि चाहें तो उन्हें उसकी एक फोटोकॉपी दी जा सकती है।
- संविदा के उल्लंघन के लिए संविदा में निहित दंडात्मक प्रावधानों के बावजूद, ठेकेदार ऐसे किसी भी प्रतिबंध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में ठेकेदार की विफलता अप्रत्याशित घटना खंड के तहत हुई घटना का परिणाम है।
- सफल बोलीदाता केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में किसी भी सांविधिक और संवैधानिक प्राधिकरण के सभी कानूनों, विनियमों, नियमों और निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 7. संविदा की अवधि प्रारंभ में संविदा पर हस्ताक्षर करने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। पहले तीन महीने परिवीक्षा अवधि होने के कारण और परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर, संविदा स्वचालित रूप से शेष वर्ष यानी नौ महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा, संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर संविदा को सालाना (एक बार में एक वर्ष) दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में संविदा को पाँच साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा।
- 8. सफल बोलीदाता दुकान/बिक्री स्थान (पानी के शुल्क सहित) के लिए प्रत्येक क्रमिक महीने की 7 तारीख, जो, हालांकि, संस्थान के विवेकानुसार समय-समय पर परिवर्तन के अधीन होगी भूमि के मासिक किराए का भुगतान नियमित रूप से करने के लिए उत्तरदायी होगा। जीएसटी और अन्य सांविधिक देय राशि का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। पूर्वोक्त निर्धारित समय के भीतर जमीन के किराए का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, देरी के लिए संचयी आधार पर भूमि के किराए पर भूफल बोलीदाता प्रति माह ₹100/-

की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ।

- 9. सफल बोलीदाता मासिक भूमि के किराए के भुगतान के साथ-साथ मौजूदा दरों पर संस्थान को वास्तविक खपत के आधार पर बिजली शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसके लिए संस्थान द्वारा दुकान/बिक्री स्थान पर एक मीटर लगाया जाएगा। तथापि, विद्युत प्रभार समय-समय पर संशोधन/परिवर्तन के अधीन होंगे जो कि सफल बोलीदाता द्वारा प्रचलित दरों पर देय होगा। हालांकि, समय पर बिजली शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में, सफल बोलीदाता बिल राशि पर वास्तविक देय राशि के 5% प्रति माह की दर से भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। इसके अलावा, यदि बिजली की खपत के बकाया का तीन महीने तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस संबंध में बिना कोई नोटिस दिए बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। जमीन के किराए, बिजली शुल्क और सफाई शुल्क का समय के भीतर भुगतान न करने को संविदा का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। और परिणामस्वरूप संस्थान के विवेक पर संविदा की समाप्ति हो सकती है और यह कार्रवाई सफल बोलीदाता द्वारा मी परिस्थिति में चुनौती के अधीन नहीं होगी।
- 10. सफल बोलीदाता इस परिसर का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों के लिए करेंगे जिसके लिए संविदा के अंतर्गत इस परिसर को दिया गया है। अन्य प्रयोजनों के लिए इस परिसर का उपयोग होने से संविदा निलंबित/समाप्त हो जाएगी।
- 11. सफल बोलीदाता संस्थान की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस परिसर को आवासीय या अन्य प्रयोजनों(जिन सामानों को बेचने की अनुमति दी गयी है उनके अलावा अन्य सामानों को बेचने सहित) के लिए उपयोग नहीं करेगा। सफल बोलीदाता परिसर को हमेशा अपने परिसर कि तरह विवेकपूर्ण और सावधान तरीके से उपयोग करेगा।
- 12. दुकान/बिक्री स्थान का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तक होगा। दुकान को इस समय से अधिक केवल संस्थान की पूर्व अनुमति पर ही चलाया जाएगा।
- 13. दुकान सप्ताह के पांच दिन के आधार पर संचालित होगी और संस्थान के पूर्व अनुमोदन से जारी संस्थान की छुट्टियों का पालन करेगी।
- 14. अनुलग्नक-1 में उल्लिखित सभी वस्तुएँ दुकान के कार्य समय के दौरान उपलब्ध होनी चाहिए। हालाँकि, संस्थान अनुलग्नक-1 में कितनी भी मदें जोड़ या हटा सकता है। इस संबंध में सभी आदेश संस्थान द्वारा जारी किए जाएंगे।
- 15. दुकानचलाने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक फर्नीचर और अन्य बुनियादी ढांचे को सफल बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- 16. सफल बोलीदाता को भीम, यूपीआई, क्रेडिट/डेबिट कार्ड आदि द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।
- 17. सफल बोलीदाता को सुरक्षा मानकों को बनाए रखना होगा। अग्निशामक (2 किग्रा और 4.5 किग्रा शुष्क प्रकार), रेत की बाल्टियाँ, सुलभ स्थानों पर स्थापित की जानी चाहिए और उन्हें काम करने की स्थिति में रखा जाना चाहिए। आपात स्थिति के लिए दुकान में प्राथमिक उपचार के उपाय भी उपलब्ध कराने होंगे।
- 18. बिक्री के लिए सेवाओं/वस्तुओं के सेट को मूल्य सूची के साथ दुकान पर सुपाठ्य फ़ॉन्ट में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मूल्य सूची में सभी वस्तुओं को ग्राहक को उपलब्ध कराना होगा।
- 19. सफल बोलीदाता को ग्राहकों को उनकी संतुष्टि के लिए उचित और सुचारू सेवाएं प्रदान करनी होंगी।
- 20. सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में परिसर को होने वाली किसी भी हानि की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। इस संबंध में संस्थान को हर्जाना दिया जाएगा और वह किसी भी कानूनी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा।
- 21. संविदा के अनुसार निर्धारित सभी मदों को हर समय उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी परिवर्तन, जोड़ने या हटाने की अनुमति संस्थान से जोड़ी गई वस्तुओं की कीमतों के साथ प्राप्त करनी होगी।
- 22. जो उपभोक्ता नकद में भुगतान करने के इच्छुक नहीं हैं, उनके लिए सफल बोलीदाता स्वाइप भुगतान मशीन की सुविधा प्रदान करेगा और दुकान में यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली भी प्रदान करेगा। सफल बोलीदाता अपने वीपीए (वर्चुअल पेमेंट एड्रेस) या क्यू-कोड को डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा ताकि उपभोक्ता यूपीआई ऐप (भीम या समकक्ष) के माध्यम से भुगतान कर सकें।
- 23. सफल बोलीदाता दुकान में बेची गई वस्तुओं पर संबंधित विभागों को जीएसटी के भुगतान के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। इस संबंध में संस्थान का कोई दायित्व नहीं होगा और उसे सभी प्रकार से प्रतिरक्षित और क्षतिपूर्तित माना जाएगा।
- 24. सफल बोलीदाता संस्थान को समय-समय पर उसके द्वारा देय भूमि के किराए पर लागू दर पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। जीएसटी भूमि के किराए के ऊपर देय होगा और संस्थान लेखांकन उद्देश्यों के लिए सफल बोलीदाता को जीएसटीआईएन के साथ एक टैक्स इनवॉयस/रसीद जारी करेगा।
- 25. सफल बोलीदाता सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य सक्षम मंचों द्वारा समय-समय पर लागू होने वाले सभी करों, शुल्कों और अन्य कानूनी भुगतानों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- 26. सफल बोलीदाता उक्त दुकान पर या उसके आसपास या परिसर के अन्य स्थानों पर लगे पेड़ों, पौधों, झाड़ियों, बाड़ा, लॉन और फूलों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- 27. सफल बोलीदाता इस संबंध में संस्थान की विशिष्ट लिखित अनुमति के बिना उक्त परिसर के भवन में कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा या उसकी फिटिंग या विद्युत प्रतिष्ठानों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, न ही कोई अनधिकृत निर्माण करेगा न ही बिजली या पानी की आपूर्ति लाइनों का विस्तार करेगा।
- 28. सफल बोलीदाता वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता, ताजा वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता बनाए रखेगा। दुकान में बेचे जाने वाले सामान की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
- 29. सफल बोलीदाता दुकान में और फर्श, फर्नीचर को साफ और स्वच्छ रखने में पूरी तरह से स्वच्छ स्थिति बनाए रखेगा, ताकि दुकान में मानकों और सौंदर्य मूल्यों को बनाए रखा जा सके। सफल बोलीदाता को सामग्री के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी।
- 30. दुकान अच्छी तरह हवादार होगी और प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होगी। दुकान परिसर के बाहर प्रदर्शन/अतिक्रमण की अनुमति नहीं होगी।
- 31. कूड़ा-करकट एवं कूड़ा निस्तारण संस्थान के मानकों के अनुसार करना होगा। हानिकारक कीड़ों और कृन्तकों को नियंत्रित करने के लिए नियमित आधार पर कीट/कृंतक नियंत्रण करना होगा।
- 32. पुरानी/बासी और समाप्त हो चुकी वस्तुओं (अर्थात समाप्ति तिथि के बाद) को दुकान में नहीं रखा जाएगा।
- 33. प्लास्टिक बैग का उपयोग सख्त वर्जित है और किसी भी परिस्थिति में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके बजाय पेपर बैग के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना है।
- 34. सफल बोलीदाता इस अनुबंध और संस्थान के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।
- 35. सफल बोलीदाता दुकान चलाने में केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जो सावधान, कुशल, अपने व्यापार में अनुभवी, कर्तव्यपरायण, शांत, अच्छे व्यवहार वाले और नियमों का पालन करने वाले हों।
- 36. संस्थान द्वारा कामगारों की तैनाती को मंजूरी मिलने के बाद दुकानमें कामगारों को तैनात किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए, सफल बोली लगाने वाले को उनका विवरण अग्रिम रूप से प्रदान करना होगा।
- 37. सफल बोलीदाता न तो किसी बाल श्रमिक को नियुक्त करेगा और न ही 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी श्रमिक को।
- 38. किसी भी महिला कर्मचारी को रात के समय यानि 8:00 बजे के बाद दुकान में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 39. सभी कर्मी अनिवार्य रूप से अपने पहचान पत्र ( जो सफल बोलीदाता द्वारा उन्हें अपने खर्च पर प्रदान किया जाएगा) अपने पास रखेंगे और मांगे जाने पर , उन्हें संस्थान के सुरक्षा कर्मियों और अन्य अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे।
- 40. दुकान में सेवाएँ देने के लिए धारकों को सफल बोलीदाता को अपने खर्चे पर काम के घंटों के दौरान वर्दी उपलब्ध करानी होगी और उन्हें काम के घंटों के दौरान इसे साफ-सुथरा तरीके से पहनना होगा।
- 41. सफल बोलीदाता अपने कर्मचारियों द्वारा अनुशासन और अच्छे आचरण के सख्त पालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- 42. सफल बोलीदाता ऐसे किसी भी कार्यकर्ता को हटाने के लिए बाध्य होगा और उसे संस्थान परिसर में प्रवेश करने से मना कर देगा, जिसे संस्थान; संस्थान परिसर के भीतर प्रशासनिक या किसी अन्य कारणों से जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं समझता है।
- 43. सफल बोलीदाता के पास अपने कार्यबल की नियुक्ति, बर्खास्तगी, निलंबन, समाप्ति, छंटनी, पदच्युति, सेवामुक्ति आदि के संबंध में और उनके खिलाफ सभी अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के संबंध में पूर्ण अधिकार होगा। सफल बोलीदाता अपने कार्यबल के साथ स्वामी और सेवक संबंध बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा और संस्थान को उपरोक्त सभी मामलों से कोई सरोकार नहीं होगा।
- 44. सफल बोलीदाता अपने कार्यबल से संबंधित किसी भी विवाद या अन्य मामलों के संबंध में पूरी तरह से उत्तरदायी होगा, जो किसी भी मंच या अदालत में शुरू किए गए हैं और आगे अन्य वैधानिक दायित्वों के अलावा उस समय लागू किसी भी श्रम कानून के प्रावधानों के आधार पर किसी भी अदालत के निर्णयों, सभी देनदारियों सहित , से अपने कर्मचारियों के साथ अपने संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियों को पूरा करने और निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा। ।
- 45. सफल बोलीदाता संस्थान की संपत्ति को हुए नुकसान, यदि कोई हो, जो उसके कर्मचारियों की ओर से किसी गैर-जिम्मेदार कार्रवाई के कारण, चाहे वह जानबूझकर या अन्यथा हो, की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- 46. यह समझा जाना चाहिए कि सफल बोली लगाने वाले पर कई अधिनियम और कानून विशेष रूप से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, माल और सेवा कर अधिनियम, आदि लागू होंगे, जिनका उसके द्वारा अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए।
- 47. सफल बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य ,उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की प्रावधानों के अनुसार ऐसा कोई भी उत्पाद परिसर में न बेचा जाए जो एक शैक्षणिक संस्थान के क्षेत्र में बेचना प्रतिबंधित है।
- 48. सफल बोलीदाता उन वित्तीय शर्तों में नुकसान को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो समय-समय पर उसकी ओर से किसी भी चूक के कारण या मजदूरी के संबंध में श्रमिकों की बकाया राशि, न्यायालयी अधिनिर्णय, मुआवजा जो सफल बोलीदाता की विफलता के कारण संस्थान द्वारा भुगतान/वहन किया जाता है; सहित वैधानिक देनदारियों से उत्पन्न होती हैं। सफल बोलीदाता इस संबंध में संस्थान द्वारा जारी पत्र की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर संस्थान को ऐसे सभी बकाया का भुगतान करेगा ऐसा न होने की स्थिति में सफल बोलीदाता की निष्पादन प्रतिभूति से उसकी वसूली की जाएगी।
- 49. संस्थान, सभी मामलों, दावों, देनदारियों और कानूनी परिणामों में, जो संविदा समझौते के साथ-साथ सरकारी प्राधिकारियों/अदालतों/फोरम आदि के सांविधिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों, आदेशों, निर्देशों आदि के अनुपालन से संबंधित है, में पूरी तरह से प्रतिरक्षित होगा और क्षतिपूर्ति के लिए मानितहोगा। यदि संस्थान को सफल बोलीदाता की ओर से या उसके अवैध कार्यों के लिए कोई दायित्व वहन करने के लिए रखा जाता है, तो संस्थान को सफल बोलीदाता से सभी देय राशियों यदि वे वित्तीय शर्तों में हैं और अन्य मामलों में उचित तरीके से, जैसा कि वह उचित समझे, जिसमें कानूनी सहारा अपनाना भी शामिल है, को वसूली करने का अधिकार होगा ।
- 50. सफल बोलीदाता सुरक्षा/सुरक्षा मुद्दों और संस्थान के अनुशासन से संबंधित सुरक्षा अधिकारियों के अन्य आदेशों/निर्देशों का पालन करने के अलावा संस्थान द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन करेगा।
- 51. सफल बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि वह और उसके कर्मचारी संस्थान के शांतिपूर्ण और अनुकूल वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।
- 52. सफल बोलीदाता दुकान में एक शिकायत पुस्तिका बनाएगा जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत पुस्तिका हर महीने पहले कार्य दिवस पर निदेशक निफ्ट श्रीनगर के समक्ष आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
- 53. सफल बोलीदाता को स्वयं से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हटाना होगा या उन मुद्दों पर निपटन होगा और शिकायत पुस्तिका के उत्पादन के साथ संस्थान के निदेशक को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- 54. सफल बोलीदाता अपनी ओर से चूक और लापरवाही के मामलों में या संस्थान के विवेक पर इसके बाद प्रदान की गई शिकायतों के लिए दंडित या जुर्माना लगाए जाने के लिए ज़िम्मेदार होगा। इस तरह का जुर्माना शिकायत की प्रकृति के अनुसार लगाया जाएगा। ऐसे मामले में पहला जुर्माना ₹5000/-, दूसरी बार ₹10000/-, और तीसरी बार ₹20000/- या संस्थान द्वारा जो दंड उचित समझा जाए। हालांकि, यदि समान प्रकृति की शिकायतें बनी रहती हैं, तो संस्थान बिना कोई और नोटिस दिए संविदा को तुरंत समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 55. कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को बिना कोई कारण बताए 30 दिन का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने में सक्षम होगा।
- 56. संविदा में कहीं और निर्धारित प्रावधानों के निबंधनों के अनुसार संविदा समाप्त किया जा सकता है।
- 57. यदि ठेका समाप्त कर दिया जाता है, या यह समय के प्रवाह से समाप्त हो जाता है, तो ठेकेदार को संस्थान द्वारा दुकान के निर्माण के लिए प्रदान की गई जगह का खाली कब्जा अनुबंध समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर सौंपना होगा। उक्त स्थान के खाली कब्जे को सौंपने में विफल रहने पर, ठेकेदार को पहले महीने के लिए मौजूदा भूमि के किराए के 50 गुना की दर से संस्थान को दंडात्मक हर्जाना देना होगा, जो दूसरे महीने से टेलीस्कोपिक तरीके से बढ़ जाएगा यानी दूसरे महीने से- हर्जाना + हर्जाने की दर का 10%; तीसरे महीने के लिए-हर्जाना + नुकसान की दर का 20%। चौथे महीने के लिए - हर्जाना + नुकसान की दर का 40% और इसी तरह, अनधिकृत कब्जे के

पहले महीने के दौरान चार्ज की गई हर्जाने की दरों के अधिकतम 5 गुना तक सीमित या संस्थान द्वारा समय - समय पर अपने पूर्ण विवेक से निर्धारित की जाने वाली उच्च दर देनी होगी । किसी भी परिस्थिति में दंडात्मक क्षति प्रश्न के अधीन नहीं होगी और यह इस संविदा का विशिष्ट निबंधन है।

- 58. संस्थान इस संविदा के तहत दुकान में प्रवेश करने और सफल बोलीदाता से दुकान का पूर्ण कब्जा लेने के अपने पूर्ण अधिकार में होगा और यह चुनौती के अधीन नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में सफल बोली लगाने वाले के सभी सामान को वहीं से जब्त कर लिया जाएगा और संस्थान के विवेक पर बेचा या नीलाम किया जा सकता है। संस्थान, यदि वह चाहे तो सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत विक्रेता के खिलाफ आगे बढ़ सकता है, यदि वह पूर्वोक्त के अनुसार संस्थान को स्टेशनरी की दुकान के निर्माण के लिए प्रदान की गई जगह का कब्जा नहीं सौंपता है।
- 59. सफल बोलीदाता संस्थान की लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भाग या उस पर या उसके तहत कोई लाभ या ब्याज नहीं सौंपेगा। संविदा में शामिल संपूर्ण प्रभार सफल बोलीदाता या उसके अधिकृत सक्षम प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा निष्पादित किया जाएगा। सफल बोलीदाता अपने कार्यबल के कृत्यों, चूकों और उपेक्षाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और ये कृत्य सफल बोलीदाता के माने जाएंगे।
- 60. यदि किसी भी समय, यह पता चलता है कि सफल बोलीदाता द्वारा दुकानको उपट्टे पर या किसी अन्य संस्था को सौंपा गया है, तो संस्थान सफल बोलीदाता को कोई समय दिए बिना अपने विवेकानुसार संविदा को तुरंत समाप्त करने के लिए तथा दी गयी जगह का कब्जा लेने के किए /या किसी और पार्टी को सौंपने के लिए स्वतंत्र होगा
- 61. उप-किराएदारी साबित होने की स्थिति में, नुकसान की दरों की गणना पहले महीने के लिए नुकसान के दो गुना (जैसा कि खंड 63 में उल्लिखित है) के रूप में की जाएगी; दूसरे महीने के लिए हर्जाने का दो गुना + 10% नुकसान का दो गुना; तीसरे महीने के लिए हर्जाने का दो गुना + 20% हर्जाने का दो गुना; चौथे महीने के लिए हर्जाने का दो गुना + 40% हर्जाने का दो गुना और इसी तरह, ऐसे मामलों में हर्जाने अधिकतम 5 गुना तक सीमित है
- 62. दुकान का सारा कारोबार सफल बोली लगाने वाले के नाम और उसके आदेश पर ही किया जाएगा।
- 63. सफल बोलीदाता या उसका अधिकृत/सक्षम प्रतिनिधि जिसकी सूचना संस्थान को अग्रिम रूप से लिखित रूप में दी जाएगी, दुकान में हर समय उपलब्ध रहेगा और किसी भी परिस्थिति में दुकान का व्यवसाय किसी अन्य व्यक्ति / संस्था द्वारा नहीं किया जाएगा। ।
- 64. सामान्य स्थिति में सफल बोलीदाता या उसका प्राधिकृत सक्षम प्रतिनिधि दुकान में उपलब्ध होगा। तथापि, यदि किसी कारणवश, सफल बोलीदाता लगातार 3 दिनों से अधिक समय तक दुकान में उपलब्ध होने की स्थिति में नहीं होता है, तो संस्थान से पूर्व अनुमति लेनी होगी, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि सफल बोलीदाता ने अनुबंध की एक अनिवार्य शर्त का उल्लंघन किया है और सफल बोलीदाता से इस चुक के लिए उचित तरीके से निपटा जाएगा जिसमें संस्थान के विवेकानुसार पर्याप्त जुर्माना शामिल हो सकता है।
- 65. संविदा बनाने वाले कई दस्तावेजों को एक दूसरे के लिए पारस्परिक रूप से व्याख्यात्मक रूप से लिया जाना है और किसी भी अस्पष्टता या विसंगतियों के मामले में, यदि कोई हो, उनकी व्याख्याओं को संस्थान द्वारा अपने सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से निर्देशों के साथ सफल बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और वही अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्न के लिए खुला नहीं होगा।
- 66. अनुबंध शुरू में एक वर्ष के लिए दिया जाएगा और विक्रेता के प्रदर्शन और आपसी सहमति के आधार पर दो साल (वर्ष-वार) तक बढ़ाया जाएगा।
- 67. यदि निफ़्ट परिसर को संविदा की अवधि में अपने स्थायी परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो विक्रेता/एजेंसी को अपने स्वयं के खर्च पर अपनी दुकान/बिक्री स्थान को भी स्थानांतरित करना होगा और स्थायी परिसर (ओम्पोरा, बडगाम) में निफ़्ट अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार) सेवाओं को कार्यात्मक बनाना होगा।
- 68. अनुबंध के सफल समापन पर, पूर्व-निर्मित संरचना को विक्रेता द्वारा नोटिस के 7 दिनों के भीतर नष्ट कर दिया और हटा दिया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर निफ्ट के पास अपने हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रस्तुतीकरण प्रारूप:

- . 1. तकनीकी बोली
- 2. वित्तीय/मूल्य बोली
- 3. बोली सुरक्षित घोषणा
- 4. घोषणाएं
- 5. लेखन-सामाग्री दुकानपर बेचा जाने वाला समान (संलग्नक-1)

## तकनीकी बोली

(एक लिफाफे में सील करके तकनीकी बोली के रूप में अंकित किया जाना है)

1. बोलीदाता

का नाम:

2. निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम:

3. बोलीदाता का पता:

4. फोन नंबर:

5. मोबाइल नंबर:

6. फैक्स नंबर:

7. ई-मेल आईडी:

8. प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:

क्र.	विवरण	संलग्न है या नहीं	टिप्पणियाँ
सं.			
1.	बोली सुरक्षित घोषणा		बोलीदाता द्वारा विधिवत
			हस्ताक्षरित
2.	वार्षिक आवर्त का प्रमाण		सीए द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित
3.	पिछले 2 वर्षो का आईटीआर		सीए द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित
4.	पैन की प्रति		स्व-सत्यापित
5.	निविदा दस्तावेज़ की प्रति		बोलीदाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ
			हस्ताक्षरित
6.	जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र		स्व-सत्यापित
7.			बोलीदाता द्वारा विधिवत
	में चलाई गई थी		हस्ताक्षरित
8.	घोषणा कि बोलीदाता को कभी कालीसूची में		बोलीदाता द्वारा विधिवत
	नहीं डाला गया है।		हस्ताक्षरित

9.बोलीदाता के पास उपलब्ध अवसंरचना

क्र. सं.	विवरण	हाँ	नहीं
1.	प्रति बनाने कि मशीन (काली-सफ़ेद और रंगीन)		
2.	कंप्यूटर (नवीनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ)		
3.	लेजर प्रिंटर (काली-सफ़ेद और रंगीन)		
4.	सभी बाइनर्डिंग समान के साथ बाइनर्डिंग मशीन		
5.	सभी कार्यालयी, अकादमिक और विद्यार्थियों की लेखन-सामग्री		
6.	अन्य कोई जानकारी		

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाता का नाम

# वित्तीय/मूल्य बोली

.....) प्रति माह (जीएसटी रहित ) जैसा कि बोली दस्तावेज में वर्णित है।

भूमि के किराए के भुगतान करने की पेशकश करते हैं।

ख) मैं सहमत हूं कि संस्थान हर साल भूमि के किराए में 5% की वृद्धि का हकदार होगा, जैसा कि विधिवत रूप से ऊपर उद्धृत किया गया है।

लेखन-सामग्री के अधिकतम खुदरा मूल्य में यदि कोई छूट दी गई है तो उन्हें दुकानपर बेचा जाएगा।

नोट: न्यूनतम भूमि के किराए प्रति माह ₹1000 (जीएसटी रहित) तय किया गया है और बोली लगाने वाले को इस राशि से अधिक भूमि के किराए को उद्धृत करना आवश्यक है।

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाता का नाम

वस्तुएँ जो दुकानमें बेची जाएँगी

क्र. सं.	वस्तुओं का नाम	एमआरपी पर बेची जाएँ
1.	सभी प्रकार की फ़ाइल व फ़ोल्डर	
2.	सभी नाप के सफ़ेद कागज़	
3.	सभी नाप के रंगीन कागज़	
4.	फोटो पेपर	
5.	क्लासमेट/माय कमपैनियन नोटबुक/ रजिस्टर	
6.	चार्ट पेपर	
7.	गिफ्ट रैपिंग पेपर/ ग्रीटिंग कार्ड/ गिफ्ट्स	
8.	गुब्बारे और फ़ीते	
9.	पायलट पेन	
10.	यूनि-बॉल पेन	
11.	पियर कार्डिन और पार्कर पेन	
12.	स्पायरल नोटबुक	
13.	यूज़ और थ्रो पेन	
14.	अन्य सभी पेन	
15.	छोटी ईलेक्ट्रोनिक वस्तुएँ	
16.	सभी कंगारू लेखन-सामग्री उत्पाद	
17.	मकेनिकल पेंसिल	
18.	इंजीन्यरिंग उपकरण	
19.	सभी कंगारू लेखन-सामग्री उत्पाद	
20.	सभी कोर्स लेखन-सामग्री उत्पाद	
21.	चमकीली, मोमबत्तियाँ और अन्य सजावट का सामान	
22.	ग्रीटिंग कार्ड/ गिफ्ट्स	
23.	सभी लेखन-सामग्री (पेंसिल,रबड़, मारकर, स्केच पेन, रंग और अन्य सामान)	
24.	अन्य समान वस्तुएँ जो आप दुकानमें बेचना चाहेंगे	

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाता का नाम

## <u>बोली सुरक्षित घोषणा</u>

निदेशक		
निफ़्ट,रंगरेट		
श्रीनगर		
संदर्भ:	दिनांक	

महोदय,

मैं/हम\_\_\_\_\_घोषणा करते हैं कि:

1. मैं/हम समझते हैं कि "बोली सुरक्षित करने की घोषणा" बयाना जमा राशि के बदले में है और संस्थान के हितों को हर तरह से सुरक्षित करने के लिए है। इस घोषणा को बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है; और

2. मैं/हम तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए निफ्ट श्रीनगर में संविदाओं के लिए बोली प्रस्तुत करने के लिए पात्र होने से निलंबित होना स्वीकार करते हैं, यदि,

क) मैं/हम इसकी वैधता की अवधि के दौरान बोली को वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं।

बी) संविदा दिए जाने के बाद संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल होते हैं।

ग) निविदा दस्तावेज में परिभाषित समय सीमा से पहले निष्पादन प्रतिभूति जमा करने में विफल होते हैं।

3. मैं/हम समझते हैं कि सफल बोलीदाता के नाम के बारे में अधिसूचना जारी करने पर मुझे/हमें संविदा नहीं दी जाती *है,* तो यह "बोली सुरक्षित घोषणा" अकृत और शून्य होगी।

4. मैं/हम यह भी जानते हैं कि संयुक्त उद्यमों के मामले में, "बोली सुरक्षित घोषणा" बोली जमा करने वाले संयुक्त उद्यम के नाम पर होनी चाहिए। यदि बोली के समय कानूनी रूप से संयुक्त उद्यम का गठन नहीं किया गया है, तो यह घोषणा संयुक्त उद्यम समझौते में निहित सभी साझेदारों के नाम पर होगी।

आज श्री	की ओर से /के लिए	पर
हस्ताक्षर किए।		
पता		

हस्ताक्षर	
नाम	
की हैसियत से	

नोट: इस घोषणा पर केवल प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं

# <u>घोषणाएँ</u>

- अधोहस्ताक्षरी सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं कि मैंने इस निविदा दस्तावेज को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है और मैं इसमें निर्धारित निबंधनों और शर्तों का पालन करूंगा। किसी भी खंड के उल्लंघन के मामले में बोली को अकृत और शून्य माना जाएगा।
- अधोहस्ताक्षरी सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं कि मुझे/हमें पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी केंद्र/राज्य सरकार,
  विभागों/कार्यालयों/स्वायत्त निकायों या किसी भी गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रतिबंधित या काली सूची में नहीं डाला गया है।
- अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा वित्तीय/मूल्य बोली में उद्धृत दरों का पालन करने की सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं।
- अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करने की सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाता का नाम

स्थान: दिनांक



राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संसथान वस्त मंत्रालय,भारत सरकार सिडको,इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स रंगरेट श्रीनगर 191132,जम्मू कश्मीर National Institute of Fashion Technology Ministry of Textiles, Govt. of India SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar-191132 J&K

16311(1)/NIFT/Sgr/Admin/Stationery/Cum Coffee Shop/2018/689

Date: 04-06-2021

### e-Tender Notice

National Institute of Fashion Technology (NIFT) Srinagar (hereinafter referred to as the "institute") set up by Government of India, Ministry of Textile in 1986, accorded statutory status under an act of the Parliament viz., NIFT Act, 2006, is an institute of National importance. The institute is engaged in imparting technical education and research of highest standards in the areas of Fashion Technology. The institute has its premises presently at SIDCO Electronics Complex Rangreth Srinagar and intends to allot the space for construction of a temporary lightweight structure of 10 ft x 8 ft dimension of prefabricated material to a willing party having the experience to run a Stationery and Reprographic Shop to cater the needs of the Campus community. Accordingly, e-tenders under "**Two Bid System**" are invited on behalf of the President of India by the Director, NIFT, Srinagar from the interested parties for entering into a contract for the Construction of a Temporary Lightweight Structure and Running it as a Stationery-cum-Reprographic Shop in the premises of the institute for a period of one year. The bidders should go through the details contained in the Tender Document available at <u>www.eprocure.gov.in</u> before submission of their bids.

#### **<u>Time Schedule for Tendering Process</u>**

E-Tender Notification Date:	04-06-2021
Last Date for Receipt of Bids on-line:	24-06-2021 (up to 11:00 hrs)
Opening of Technical Bid:	25-06-2021 (15:00 hrs)
Opening of Financial/Price Bid:	to be informed to the eligible bidders separately.

Earnest Money Deposit (EMD) is **not** required for participation in the tendering process. However, the bidders are required to sign the "Bid Securing Declaration" and attach the same to the Technical Bid.

The bidders shall have to enclose all relevant documents (self-attested) to the Technical Bid both in softcopy as well as hardcopy form. Hard Copies of Technical Bid and Financial/Price Bid shall have to be deposited by the bidders in the office of the Director, NIFT, SIDCO Electronic Complex, Rangreth Srinagar by or before 24-06-2021 (up to 11:00 hrs). Bids not supported by the documents as mentioned are liable to be rejected. The detailed Tender document is also available at the institute's website www.nift.ac.in/srinagar In case of any clarification(s) the bidders can e-mail their queries at estates.srinagar@nift.ac.in or contact at +91-7006149501.

> Director NIFT, Srinagar.

### Tender Document

Invitation to Tenders under Two Bid System for the Construction of a Temporary Lightweight Structure of 10 ft X 8 ft dimension of prefabricated material on the space to be provided by the Institute within the Campus and running it as a Stationery-cum reprographic shop for the Campus Community at NIFT Rangreth Srinagar.

### Scope of Tender:

Construction of a Temporary Lightweight Structure of 10 ft X 8 ft dimension of prefabricated material on the space to be provided by the institute within the Campus and running it as a Stationery-cum-Reprographic Shop for the Campus Community at NIFT Rangreth Srinagar.

<b>Time Schedule for Tendering Process</b>	

e-Tender Notification Date	04-06-2021
Last Date for Receipt of Bids on-line	24-06-2021 (up to 11:00 hrs)
Opening of Technical Bid	25-06-2021 (15:00 hrs)
Opening of Financial/Price Bid	To be informed to the
	eligible bidders separately.

The prospective bidders shall have to enclose all relevant documents (self-attested) to the Technical Bid both in softcopy as well as hardcopy form. Hard Copies of Technical Bid and Financial/Price Bid shall have to be deposited by the bidders in the office of the Director, NIFT SIDCO Electronics Complex Rangreth Srinagar by or before 24-06-2021 (up to 11:00 hrs). Bids not supported by the documents as mentioned are liable to be rejected. The Tender Document is also available at the institute's website <u>www.nift.ac.in/srinagar</u>.

In case of any clarification(s) the bidders can e-mail their queries at <u>estates.srinagar@nift.ac.in</u> or contact the institute at +91-7006149501.

### **Instructions to Bidders:**

- 1. The intending bidders must read the terms and conditions of the whole Tender Document carefully. They should submit their bids, if they consider themselves eligible and are in possession of all the electronics equipment and documents required.
- 2. At any time prior to the date of submission of bids the institute may either at its own initiative or in response to a clarification sought by a prospective bidder amend the Tender Document by issuing a corrigendum. The corrigendum shall be notified prominently on the website of the institute.
- 3. The bid shall be submitted only in official e-tender form. If submitted in any other form, the bid shall be summarily rejected.
- 4. The interested bidders shall have to apply online only and submit their bids along with scanned copies of all relevant certificates and documents duly signed by them in support of Technical Bid and Financial/Price Bid at <a href="https://www.eprocure.gov.in">https://www.eprocure.gov.in</a> from <a href="https://www.eprocure.gov.in">04-06-2021 to 24-06-2021 up to 11:00hrs.</a>
- 5. The bid shall be submitted only through online mode and bids submitted through any other mode shall be invalid.

- 6. The intending bidders must have valid class III digital signature to submit the bid online.
- 7. The name and address of the Bidder shall be clearly written in the space provided and no correction, overwriting, insertions, interpolation, etc. are permissible in any part of the tender unless duly attested by the bidder under his seal and full signatures. The tender is to be filled in and submitted strictly in accordance with the given instructions. Otherwise, the bid is liable to be rejected unilaterally without assigning any reason or giving any explanation therefor.
- 8. The bid shall be liable to be rejected if the documents are not filled in completely or if any information and data mentioned in the bid is not completely recorded therein or if incorrect/ wrong/ false/ manipulated information is furnished or any information having material effect on the bid evaluation is supressed/ concealed.
- The hardcopies of both Technical Bid and Financial/Price Bid with all relevant documents in original shall have to be deposited with the office of the Director NIFT Srinagar by or before <u>24-06-2021 up to 11:00hrs.</u>
- 10. The bids shall be opened on **25-06-2021 (11:00hrs)** in the presence of such bidders who wish to be present themselves or in the presence of their authorised representatives.
- 11. No Earnest Money Deposit is required to be furnished. However, Bid Securing Declaration duly signed by the bidder is to be attached to the Technical Bid (soft as well as hard copies). The offers received without Bid Securing Declaration shall be summarily rejected.
- 12. The bids received after the closing date and time i.e., <u>24-06-2021 (11:00 hrs)</u> shall not be considered for any reasons whatsoever.
- 13. The institute reserves the right to accept or reject any or all the offers either partly or fully without assigning any reason.
- 14. Bid Securing Declaration shall be enforced if the bidder withdraws, amends, impairs, or derogates from the bid in any respect within the validity period of his bid.
- 15. In case H1 is more than one, the decision of the Director of the institute for selection of the highest bidder shall be final and binding on all affected bidders. Neither any explanation shall be required, nor further communication shall be entertained by the institute in this regard.
- 16. The items required to be sold at the Stationery Shop and Reprographic facilities to be kept at the outlet are contained in the Tender Document itself and the evaluation of the bid shall be on the basis of Highest bid quote of the monthly **Ground Rent** as per the Financial/Price Bid. The rate quoted shall be exclusive of all taxes and duties. The reserved **Ground Rent** per month is ₹1000/-(exclusive of GST) and the bidders shall have to quote the rate over and above of this amount.
- 17. The Stationery items shall have to be sold by the successful bidder from the proposed outlet at the Campus site on Maximum Retail Price (MRP) i.e., inclusive of all taxes whereas the reprographic services shall have to be provided at the rates fixed by the institute. The bidder can, at his/her option sell the items of stationery at the discounted rates as well.
- 18. The bidder shall ensure to install at the Stationery Shop quality photocopiers and laser printers for both black & white and colour photostat and printouts and he/she shall have to charge the following rates from the customers.

•	Black & White Photocopying (A4 size pap	ber) = ₹ 1.00 pc
٠	Black & White Photocopying (A3 size pap	per) = ₹ 1.50 pc
٠	Colour Photocopying (A4 size paper)	= ₹10.00 pc
٠	Colour Photocopying (A3 size paper)	= ₹15.00 pc
٠	Black & White Printing (A4 size paper)	=₹ 5.00 pc
٠	Black & White Printing (A3 size paper)	=₹7.00 pc
•	Colour Printing (A4 size paper)	= ₹15.00 pc

- Colour Printing (A3 size paper) = ₹20.00 pc
- 19. All matters relating to this tender shall be governed by the Indian Laws both substantive and procedural for the time being in force and shall be subject to the exclusive jurisdiction of Courts of Law at Srinagar/Budgam (J&K).
- 20. The bidders shall quote the rate for the **Ground Rent** only in the Financial/Price Bid both in figures and words. Incomplete bids shall be rejected summarily. All corrections and alterations in the bid papers shall have to be attested by the bidder under his seal and full signatures. No erasing and overwriting are permissible otherwise the bid shall be treated as incomplete and rejected summarily. The use of white correction fluid is totally banned.
- 21. If a bidder quotes nil rate, the bid shall not be considered and treated as unresponsive.
- 22. All statutory taxes and duties including GST, Municipal Taxes, and any other taxes and duties chargeable shall have to be borne by the bidder and no liability in this respect shall pass on at any time to the institute. The rate of Ground Rent quoted shall be firm and any deviation from the rate or terms and conditions during the validity period of the offer shall entail forfeiture of the Performance Security, enforcement of Bid Securing Declaration and entitle the institute to initiate appropriate legal action against the bidder.
- 23. Only Technical Bid shall be opened on the date of tender opening. Whereas the Financial/Price Bids of only those bidders shall be opened whose Technical Bids are found complete and acceptable in all respects. The date and time for opening of the Financial/Price Bids shall be notified separately subsequent to opening of the Technical Bids.
- 24. The offer received in a "Single Tender System" mode i.e., both Technical Bid and Financial/Price Bid placed in one and the same cover shall be liable to be rejected.
- 25. The bidders should constantly watch the website of the institute for any queries, clarifications, corrigenda, etc. relating to this tender.
- 26. The representations, if any, related to the tender document must be submitted to the institute well before the date and time of opening of the Technical Bid.
- 27. After declaration of qualifying Technical Bids by the Bids Opening Committee of the institute, the rates quoted in the Financial/Price Bids shall be selection criteria i.e., highest quoted Ground Rent. The bidder has to quote the rates exclusive of all applicable taxes and duties.
- 28. The bid submitted by a bidder shall remain valid for 75 days from the date of opening of the bid.
- 29. The bidders shall have to abide by the Code of Integrity for Public Procurement of Services. In case of any transgression of this Code the bidder shall be liable to punitive actions such as cancellation of his/her bid/contract, banning/blacklisting

him/her or taking any action against him/her in the Competition Commission of India and so on.

- 30. The bidder shall not have Conflict of Interest with other bidders. The Conflict of Interest can lead to anti-competitive rates to the detriment of the institution's interests. The bidder found to have Conflict of Interest shall be disqualified.
- 31. Decision of the institute regarding interpretation of terms and conditions of the Tender Document shall be final and binding on all concerned.
- 32. The bidders submitting the bids shall be considered to have read and accepted all the terms and conditions attached to the tender. No enquiries oral or written shall be entertained in respect of acceptance or rejection of the bid(s).
- 33. The bids received through telex, cable and facsimile shall be ignored and rejected.
- 34. The bids with inbuilt conditions shall be treated as unresponsive.
- 35. No paper/document shall be detached from the Tender Document.
- 36. The bidder, after submitting its bid is permitted to withdraw/alter/modify its bid so long such withdrawal/alteration/modifications are received duly sealed and marked like original bid up to the date and time of receipt of bid. Any withdrawal/amendment/modification received after the prescribed date and time shall not be considered.
- 37. No bid shall be withdrawn in the interval between the deadline for submission of bids and expiration of the period of bid validity. Withdrawal of a bid during this period shall result in enforcement of the bidder's "Bid Securing Declaration" and imposition of other sanctions.
- 38. The contract shall be awarded to the successful bidder to operate the aforesaid business which shall be run under certain conditions which are stipulated hereinafter and in the terms and conditions of the contract,
- 39. Each and every page of the bid must be signed by the bidder himself if the bidder is a proprietorship firm and in case of a partnership firm, by a partner. However, in the case of a partnership firm, there must be an authorization from all the partners to this effect that the person signing the bid as a partner has been authorized to sign the bid document on behalf of all partners.
- 40. If the bidder is a Company, there must be a valid authorization from the competent authority/ Board resolution, authorizing the person to sign and file the bid on behalf of the Company.
- 41. Any bid not signed on each page and without authorization shall be rejected.
- 42. The bidder is not allowed to make additions/alterations in the tender document. Such additions and alterations shall be at the bidders' own risk and shall render the bid to be summarily rejected.
- 43. Prices of all items to be sold/traded at the outlet shall be in Indian rupees and inclusive of GST and all other taxes.

### **Eligibility/Qualifying Criteria:**

1. The bidder must have experience of running similar outlet(s) for not less than three years in a Government/Semi Government/Autonomous body/ any reputed organisation etc. Interested bidder may apply along with sufficient proof of experience/ability to run shop/outlet. The bidder must have minimum annual turnover of 5 lakh each year during the last two years. The copies of Balance Sheets

for the financial years 2018-19 and 2019-20 duly signed by the Chartered Accountant shall have to be attached to the Technical Bid.

- 2. The bidder shall have to attach copies of Income Tax Returns for the last two years (2018-19 and 2019-20) duly attested by a Chartered Accountant to the Technical Bid.
- 3. The bidder shall have to furnish a Declaration to the effect that he/she has not ever been banned /blacklisted by any of the Central/State Govt. Departments/ Offices/ Autonomous Bodies or by any Non-Govt, Organisation in the format provided in the Tender Document.
- 4. The bidder shall have to attach the "Bid Securing Declaration" in the format provided in the Tender Document to the Technical Bid.
- 5. The bidder must be registered with the GST regime and Income Tax Department and shall have to enclose a copy of the GST Registration Certificate and a copy of the PAN Card to the Technical Bid.
- 6. The condition of prior turnover and experience is relaxed for Start-ups subject to meeting of the other terms and conditions set by the institute in the Tender Document.

## Documents to be attached with the Bid:

The bidder must attach self-attested copies of the following documents along with the technical bid. Any bid not accompanied by such documents would be liable for rejection:

- a) Income Tax Registration Certificate/PAN.
- b) Last one year's bank statement.
- c) Firm/Company Registration Certificate.
- d) GST Registration Certificate/No.
- e) Other Statutory Registrations/Licenses, if any.
- f) Total number of outlet(s) and their details.
- g) Details of the workers who will work with the bidder, if contract is awarded.
- h) Authority letter/Resolution in favour of the person signing the bid on behalf of the firm submitting the tender document.
- i) Address proof.
- j) Other documents as may be deemed necessary and as is required under any other provision of the bid document and not mentioned herein above.

## **General Conditions of Contract:**

- 1. The resultant contract shall be interpreted under Indian laws.
- 2. In the case of any dispute arising out of the contract the same shall be resolved mutually by the parties concerned failing which by arbitration by sole Arbitrator to be appointed by the Director, NIFT Srinagar at Srinagar under the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the rules framed thereunder. The Arbitrator so appointed shall not have jurisdiction to pass any interim awards. The language of arbitration shall be English. The place of arbitration shall be at Srinagar/ Budgam (J&K).
- 3. The successful bidder shall have to deposit the Performance Security of 3% of the contract value in the shape of Demand Draft/ Bankers Cheque/ Fixed Term Deposit/Bank Guarantee in the name of the Director NIFT Srinagar up to the period of 60 days after completion of the contractual obligations.
- 4. The bidder whose bid is accepted, shall submit a ₹100/- non-judicial stamp paper at its own cost for preparing the contract agreement to be signed by the both the

parties. The terms and conditions of this Tender Notice/Document shall form part of the contract and remain binding till satisfactory completion of the contract. The original agreement shall remain with the Institute while a photocopy thereof can be had by the vendor if he/she so wishes.

- 5. Notwithstanding the punitive provisions contained in the contract for breach of contract the contractor shall not be liable for any such sanction so long as the delay and/or failure of the contractor in fulfilling its obligations under the contract is the result of an event covered under *Force Majeure* clause.
- 6. The successful bidder shall be liable to comply with all laws, regulations, rules, and directions of any statutory and constitutional authority for the time being in force in the Union Territory of Jammu & Kashmir.
- 7. The duration of contract shall be for one year, initially, from the date of signing the contract, first three months being the probation period and on satisfactory completion of the probation period, the contract shall automatically be extended for rest of the year i.e., nine months. Further, the contract shall be annually extended (one year at a time) for two more years based on past performance. Under no circumstances the contract shall be extended for more than five years.
- 8. The successful bidder shall be liable to pay the monthly **Ground Rent** regularly by 7<sup>th</sup> of each successive month for the Shop/Outlet space (inclusive of water charges) which, however, shall be subject to change from time to time at the discretion of the Institute. GST and other statutory dues shall have to be paid extra. In case of failure to pay the Ground Rent within the stipulated time as aforesaid, the successful bidder shall be liable to pay a sum of ₹100/- p.m. over and above the **Ground Rent** on cumulative basis for delays.
- 9. The successful bidder shall also be liable to pay the electricity charges on actual consumption basis to the institute at the prevailing rates along with the payment of monthly **Ground Rent**. For this purpose, there shall be a meter installed in the Shop/Outlet by the Institute. The electricity charges shall, however, be subject to revision/change from time to time which shall be payable by the successful bidder as aforesaid at the prevailing rates. However, in case of non-payment of electricity charges on time, the successful bidder shall be bound to pay a penalty towards belated payments @ 5% per month of actual dues (to be rounded off) over and above the bill amount. Further, if the dues of electricity consumption remain unpaid for three months, the electricity connection shall be disconnected without giving any notice, in this behalf. Non-payment of Ground Rent, the electricity charges and cleaning charges within time shall be deemed to be a serious breach of the contract and may lead to termination of the contract at the discretion of the Institute and this action shall not be subject to challenge by the successful bidder under any circumstances whatsoever.
- 10. The successful bidder shall use the premises **only** for which it has been given by the Institute under the contract. The use of the premises for other purposes shall lead to the suspension/termination of the contract.
- 11. The successful bidder shall not use the premises for residential purposes or for any other purposes (including vending of any item other than those for which permission has been given) without prior written permission of the institute. The successful bidder shall always use the premises in a prudent and careful manner as if it were his own.

- 12. Timing of the outlet/shop shall be from 09:00 am to 06:00 pm. Running of shop/outlet beyond this timing shall be carried out only with the prior permission of the institute.
- 13. The shop shall operate on five day week basis and observe the holidays of the institute, save with the prior approval of the institute.
- 14. All items mentioned in the Annexure-1 must be available during the working hours of the shop. However, the Institute may add or delete any number of items to the Annexure-1. All the orders in this regard shall be issued by the institute.
- 15. All necessary furniture and other infrastructure required for running the outlet shall have to be made available by the successful bidder.
- 16. Facility of Payment by BHIM, UPI, Credit / Debit Card, etc. should be made available by the successful bidder.
- 17. Safety standards shall have to be maintained by the successful bidder. Fire extinguishers (2 Kg & 4.5 Kg dry type), sand buckets, should be installed in accessible places and should be kept in working conditions. First aid measures shall also have to be kept available in the shop for emergencies.
- 18. The set of services/items for sale along with the price list should be prominently displayed at the shop in legible font. All items in price list shall have to be made available to the customer.
- 19. The successful bidder shall have to provide proper and smooth services to the customers to their satisfaction.
- 20. Any loss to the Campus with regard to the services provided by the successful bidder shall be the responsibility of successful bidder. The Institute shall be indemnified in this regard and shall not be a part of any legal proceedings thereof.
- 21. All the items prescribed as per the contract agreement shall be made available at all times. Permission for any alteration, addition or deletion shall have to be obtained from the institute along with the prices of the items added.
- 22. For the consumers who are not willing to pay in cash, the successful bidder shall facilitate with a swipe payment machine and shall also provide in the shop the UPI based payment system. The successful bidder shall further display its VPA (virtual Payment Address) or Q-Code on the display board to enable the consumers to make the payment via UPI App (BHIM or equivalent).
- 23. The successful bidder shall be absolutely liable for payment of GST to the respective departments on items sold in the shop. The Institute shall have no liability whatsoever in this regard and shall be deemed to be immune and indemnified in all respects.
- 24. The successful bidder shall be liable to pay to the Institute GST at the rate applicable from time to time on the Ground Rent payable by him/her. GST shall be payable over and above the Ground Rent and the institute shall for accounting purposes issue a Tax Invoice/Receipt with GSTIN to the successful bidder in confirmation thereof.
- 25. The successful bidder shall also be liable to pay all other taxes, levies and other legal payables that may be applied by the Government, Local Authorities, and other competent forums from time to time.
- 26. The successful bidder shall not tamper with the trees, plants, shrubs hedges, lawns and flowers standing or maintained on or around the said shop or in other places of the campus.

- 27. The successful bidder shall not make any addition or alteration to the building of the said premises or tamper with the fittings or electrical installations therein, nor make any unauthorized constructions or extension to the electricity or water supply lines, without the specific written permission of the institute in this behalf.
- 28. The successful bidder shall maintain the good quality of articles, constant availability of fresh items. There shall be no compromise in regard to the quality of items to be sold in the Shop.
- 29. The successful bidder shall maintain full hygienic conditions in the Shop and in keeping the floor, furniture neat and clean, so as to maintain the standards and aesthetic values in the Shop. The successful bidder shall also have to make his own arrangements for safe storage of materials.
- 30. The shop shall be kept well ventilated and well lit. No display/encroachment shall be allowed outside the shop premises.
- 31. Garbage and waste disposal shall have to be done as per the institute's norms. Pest/rodent control shall have to be done on regular basis to control the harmful insects and rodents.
- 32. Old/stale and expired items (i.e., beyond expiry date) shall not be kept in the shop.
- 33. Usage of plastic bags is a strict NO and the same shall not be used under any circumstances whatsoever. Instead use of Paper bags is to be encouraged.
- 34. The successful bidder shall carry out the work in accordance with this contract and the directives of the institute.
- 35. The successful bidder shall employ in running the shop only such persons as are careful, skilled, experienced in their trades, dutiful, sober, well behaved and rules compliant.
- 36. Worker(s) in the outlet shall be deployed after his/her deployment is cleared by the institute and for this purpose, the successful bidder shall provide the details of them in advance.
- 37. The successful bidder shall neither employ any child labour nor any worker who is below 18 years of age.
- 38. No female employee shall be allowed to work in the shop during night i.e., beyond 8:00 pm.
- 39. All the workers shall invariably carry their ID Cards (to be provided to them by the successful bidder at his/her own cost) and shall be produced to the security personnel and other authorities of the Institute, whenever asked for.
- 40. The bearers for servicing in the Shop shall have to be provided uniforms by the successful bidder during the working hours at his/her own cost and they shall be unfailingly required to wear it in neat and tidy manner during working hours.
- 41. The successful bidder shall be absolutely responsible for strict adherence to discipline and good conduct by its workers.
- 42. The successful bidder shall be bound to remove any such worker and disallow him/her from entering the Institute premises that the Institute does not deem appropriate to continue within the Institute premises for administrative or any other reasons.
- 43. The successful bidder shall have absolute authority in regard to the engagement, disengagement, suspension, termination, retrenchment, dismissal, discharge etc. of its workforce and for all disciplinary actions against them. The successful bidder shall be responsible for maintaining master and servant relationship with its

workforce and the Institute shall have no concern whatsoever with all the above mentioned matters.

- 44. The successful bidder shall be absolutely liable in regard to any dispute or other matters concerning its workforce which are initiated in any forum or court of law and shall further be liable to meet and discharge all the liabilities that may arise on account of its relationship with its workers from the decisions of any court including all liabilities as are thrust upon by virtue of the provisions of any labour law in force at that time besides other statutory liabilities.
- 45. The successful bidder shall be liable to make good the loss to the property of the Institute, if any that may be caused on account of any non-responsible action on the part of its workers, whether deliberate or otherwise.
- 46. It is to be understood that a number of enactments and laws would apply to the successful bidder, which are supposed to be complied with by him/her in letter and spirit and in particular to laws relating to Minimum Wages Act, Employees' Compensation Act, Goods and Services Tax Act, etc.
- 47. The successful bidder shall ensure that no product shall be sold from the premises which is prohibited to be sold within the premises of an educational institute, as per the provisions of the Cigarette and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.
- 48. The successful bidder shall be liable to make good the losses in financial terms that it may be subjected to from time to time on account of any lapse on its part or arising out of statutory liabilities including the dues towards the workers in regard to wages, court awards, compensation which are caused to be paid/borne by the Institute due to the successful bidder's failure, as well as the Institute's Ground Rent, electricity charges and other dues etc. The successful bidder shall pay all such dues to the Institute within fifteen days from the receipt of letter issued by the Institute in this behalf failing which; the same shall be recovered/realized from the successful bidder's performance security.
- 49. The Institute shall be absolutely immune and deemed indemnified in all matters, claims, liabilities, and legal consequences which relates to compliance of statutory provisions, rules and regulations, orders, directions of Govt. authorities / Municipal Corporation / Courts / Forum etc. as well as the provisions of this contract agreement. In case the Institute is put to bear any liability for lapses on the part of the successful bidder or for his/hers illegal actions, the Institute shall have the right to realize from the successful bidder all dues if those are in financial terms, and on other matters, in appropriate manner as it deems appropriate including adopting legal recourse.
- 50. The successful bidder shall comply with all guidelines/instructions issued by the institute besides following other orders/ instructions of security authorities concerning the security/safety issues and Institute's discipline.
- 51. The successful bidder shall ensure that he/she and his/her employees do not adversely affect the peaceful and congenial atmosphere of the Institute.
- 52. The successful bidder shall maintain a Complaint Book in the shop wherein the consumers may register their complaints. The complaint book shall be produced every month on the first working day before the Director NIFT Srinagar for necessary action.

- 53. The complaints shall be removed or dealt with by the successful bidder on priority basis on issues that concern the successful bidder and a compliance report thereon shall be submitted to the Director of the institute with the production of Complaint Book.
- 54. The successful bidder shall be liable to be penalized or fined in cases of default and negligence on his/her part or for complaints in the manner provided hereafter at the discretion of the Institute. Such penalty or fine shall be imposed according to the nature of the complaint. The first penalty in such case would be to the tune of ₹5000/-, ₹10000/- at the second time and ₹20000/- at the third time or such higher penalty as deemed fit by the Institute. However, if the complaints of identical nature persist, the Institute would be at liberty to terminate the contract forthwith without giving any more notices.
- 55. Either party shall be able to terminate the contract by giving 30 days' notice to the other party without assigning any reasons whatsoever.
- 56. The contract may be terminated in terms of any provisions stipulated elsewhere in the contract.
- 57. In case, the contract is terminated, or it comes to an end by efflux of time, the contractor shall handover the vacant possession of the space provided by the institute for erection of the shop within 15 days of contract coming to an end. Failure to handover the vacant possession of the space as aforesaid, would render the contractor to pay the penal damages to the Institute @ 50 times of the existing Ground Rent for the 1<sup>st</sup> month which shall increase in telescopic method from 2<sup>nd</sup> month onwards i.e., for 2<sup>nd</sup> month damages + 10% of rate of damages; for 3<sup>rd</sup> month damages + 20% of rate of damages. For 4<sup>th</sup> month damages + 40% of rate of damages and so on, limiting to the maximum 5 times of rates of damages charged during the first month of unauthorized occupation or such higher rate as may be fixed by the Institute at its absolute discretion from time to time. The penal damages under no circumstances shall be subject to question and it is the specific term of this contract.
- 58. The Institute shall further be within its absolute rights to enter the shop and assume absolute possession of the shop under this contract from the successful bidder and the same shall not be subject to challenge. All the goods belonging to the successful bidder in such circumstances shall be deemed forfeited there-from and may be sold or put to auction at the discretion of the Institute. The Institute may, if it so desires proceed against the vendor in terms of provisions of Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 in case of non-handing over the possession of the space provided for erection of the stationery shop to the Institute as aforesaid.
- 59. The successful bidder shall not assign the contract or any part thereof or any benefit or interest thereon or there-under without written consent of the Institute. The whole of the charge included in the contract shall be executed by the successful bidder or his/her authorized competent representative(s). The successful bidder shall be responsible for the acts, defaults, and neglects of its workforce fully being deemed as those of the successful bidder itself.
- 60. If at any time, it is detected that the shop has been sublet or assigned to any other entity by the successful bidder, the Institute shall be at liberty to terminate the contract forthwith without giving any time to the successful bidder and further to

take over the possession of the given premises and/or to hand over the same to any other party at its sole discretion.

- 61. In case of subletting is proved, the rates of damages will be calculated as two times of damages (as mentioned in Clause 63) for 1<sup>st</sup> month; two times of damages + 10% two times of damages for 2<sup>nd</sup> month; two time of damages + 20% two time of damages for 3<sup>rd</sup> month; two times of damages + 40% two times of damages for 4<sup>th</sup> month and so on, liming to the maximum 5 times of damages charges in such cases.
- 62. The entire business of the shop shall be carried out in the name and at the behest of the successful bidder.
- 63. The successful bidder or his authorized/competent representative whose intimation would be provided in writing in advance to the institute, shall at all times be available in the shop and the business of the shop shall not be carried out by any other person/ entity under any circumstances.
- 64. In normal course, the successful bidder or his authorized competent representative shall be available in the shop. However, if for any reason, the successful bidder is not in a position to be available in the shop consecutively for more than 3 days, a prior permission shall have to be obtained from the institute, failing which it shall be deemed that the successful bidder has violated an essential condition of the contract and the successful bidder shall be dealt with in an appropriate manner for this default which may include adequate penalty at the discretion of the institute.
- 65. Several documents forming the contract are to be taken mutually explanatory to one another and in case of any ambiguities or discrepancies, the interpretations of the same shall be communicated in writing by the Institute through its Competent Authority to the successful bidder along with the directions, if any, and the same shall be deemed to be final and binding and shall not be open to question in any court of law.
- 66. Contract shall be awarded initially for one year and extended to further two years (year-wise) based on performance of the Vendor and mutual consent.
- 67. In case NIFT Campus is shifted to its permanent campus in the currency of the Contract, the Vendor/Agency shall have to also shift its shop/outlet at his/her own expenses and shall make the services functional at the permanent campus (Ompora, Budgam) as per the directions of the NIFT Authorities.
- 68. On successful completion of contract, the pre-fabricated structure shall be dismantled and removed by the Vendor within 7 days of notice failing which NIFT reserves the right to take any action which may deem fit to safeguard its interests.

#### **Submission Formats:**

- 1. Technical Bid
- 2. Financial/Price Bid
- 3. Bid Securing Declaration
- 4. Declarations
- 5. Items to sold at the Stationery Shop (Annexure-1)

## **Technical Bid**

(To be sealed in an envelope and superscribed as Technical Bid)

- 1. Name of the bidder:
- 2. Name of the person authorised to sign on the tender document:
- 3. Address of the bidder:
- 4. Phone No.:
- 5. Mobile No.:
- 6. FAX No.:
- 7. E-mail ID:
- 8. Documents to be submitted:

S.	Particulars	Whether attached	Remarks
No.		(Yes or No)	
1.	Bid Security Declaration		Duly signed by the bidder
2.	Proof of Annual Turnover		Duly signed by C.A.
3.	ITRs for last two years		Duly signed by C.A.
4.	Copy of PAN card		Self-attested
5.	Copy of Tender Document		Each page duly signed by
			the bidder
6.	GST Registration Certificate		Self-attested
7.	Clientele List where such an outlet		Duly signed by the bidder
	was run in the last three years		
8.	Declaration that bidder has not ever		Duly signed by the bidder
	been blacklisted		

9. Infrastructure available with the bidder

S.	Particulars	Yes	No
No.			
1.	Photocopier (B/W & Colour)		
2.	Computer (with latest hardware & software)		
3.	Laser Printer (B/W & Colour)		
4.	Binding Machine with all binding materials		
5.	All Office, Academic & students' stationery		
6.	Any other information		

Place: Date:

Signature of the bidder

Name of the bidder

### Financial/Price Bid

- a) The undersigned hereby offers to pay the **Ground Rent** at the rate of ₹.....) per month (excluding GST) for the premises as detailed in the bid document.
- b) I agree that the institute shall be entitled to an enhancement @ 5% in the Ground Rent duly rounded off as quoted above, every year.

Discount, if any, offered in the MRP of the Stationery items to be sold at the outlet.

Note: The minimum Ground Rent per month is fixed at ₹1000 (exclusive of GST) and the bidder is required to quote the Ground Rent in excess of this amount.

Place: Date:

Signature of the bidder

Name of the Bidder

#### Annexure-I

<b>S1.</b>	Name of items	To be traded
No.		on MRP
1.	All types of Files & Folders	
2.	White Paper of all sizes	
3.	Coloured Paper of all sizes	
4.	Photo Paper	
5.	Classmate/ My Companion Notebooks / Registers	
6.	Chart Paper	
7.	Gift wrapping papers/ Greeting Cards, & Gift Articles	
8.	Balloons and Ribbons	
9.	Pilot Pens	
10.	Uni-Ball Pens	
11.	Pierre Cardin & Parker Pens	
12.	Spiral Notebooks	
13.	Use & throw Pens	
14.	All other Pens	
15.	Small electronic items (Branded)	
16.	All kangaroo Stationery Products	
17.	Mechanical Pencils	
18.	Engineering Instruments	
19.	All kangaroo Stationery Products	
20.	All Kores Stationery Products	
21.	Sparkle, Candles and other decorative items	
22.	Greeting Cards & Gift Articles	
23.	All Stationery Articles (Pencil, Eraser, Marker, Sketch pens, Colours	
	and other items)	
24.	Any other similar items which you would like to trade in the outlet.	

Place: Date:

Signature of the bidder

Name of the bidder

#### **BID SECURING DECLARATION**

The Director					
NIFT, Rangreth					
Srinagar					
Ref:	Date				
Sir,					
I/We	declare that:				

- 1. I/We understand that the "Bid Securing Declaration" is in lieu of the Earnest Money Deposit and is to secure the interests of the institute in all respects. It is mandatory to attach this declaration with the bid documents; and
- 2. I/We accept to be suspended from being eligible to submit bids for contracts in the NIFT Srinagar for a period of three (03) years if,
  - a) I/We withdraw or modify the bid during the period of its validity.
  - b) fail to sign the contract after award of contract.
  - c) fail to submit the Performance Security before the deadline defined in the tender document.
- 3. I/We understand that this "Bid Securing Declaration" shall be null and void, if contract is not awarded to me/us upon issue of notification about the name of the successful bidder.
- 4. I/We also know that in the case of Joint Ventures, "Bid Securing Declaration" is to be in the name of the Joint Venture submitting the bid. If Joint Venture is not legally constituted at the time of bidding, this declaration shall be in the name of all partners contained in the Joint Venture agreement.

Signed today the	for and on behalf of
M/s	
Address	

Signature_	
Name	

In the capacity of\_\_\_\_\_

Note: This declaration is to be signed by the authorised signatory only.

### **DECLARATIONS**

- **1.** The undersigned hereby solemnly affirms that I have completely read and understood this tender document and shall abide by the terms and conditions laid down herein. In case of breach of any of the clauses the bid shall be treated as null and void.
- **2.** The undersigned hereby solemnly affirms that I/we have not ever been banned or blacklisted by any of the Central/State Govt, Departments/ Offices/ Autonomous Bodies or by any Non-Govt. Organisation.
- **3.** The undersigned hereby solemnly affirms to abide by the rates quoted in the Financial/Price Bid.
- **4.** The undersigned hereby solemnly affirms to adhere to the provisions of the Code of Integrity for Public Procurement.

Signature of the Bidder

Name of the bidder

Place: Date